न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- **10/2018**
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. शिवराम पुत्र भालूराम कौम मेघवाल निवासी बांसेड
2. नाथुराम पुत्र भालूराम कौम मेघवाल निवासी बांसेड

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री प्रकाश डूकिया अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 2 की और से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- **07.01.2022**

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांसेड की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 में खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी महाराज वाके बांसेड के नाम खुद काश्त खातेदारी दर्ज है। ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 170, 173 जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में रकबा 10.02 बीघा भूमि बिना किसी नामान्तरण के खातेदार छोगा उदा पिता देवी जाति रावत के नाम अंकित कर दी गई है जो विधि सम्मत नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में नवीन भू-प्रबंध होने से पुराने खसरा नंबर 170, 173 के स्थान पर नवीन खसरा नंबर 399, 405 कुल क्षैत्रफल 1.64 हैक्टेयर भूमि शिवराम पुत्र भालूराम व नाथूराम पुत्र भालूराम जाति मेघवाल निवासी बांसेड के नाम दर्ज है जौ अवैध होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी महाराज वाके ग्राम बांसेड मूर्ति शास्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का हस्तांतरण अवैध है। अतः

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

शिवराम पुत्र भालूराम व नाथूराम पुत्र भालूराम जाति मेघवाल निवासी बांसेड के नाम अवैध खातेदारी अधिकार निरस्त कर ग्राम बासेंड के खसरा नंबर 399, 405 कुल क्षेत्रफल 1.64 हैक्टेयर में दर्ज नामान्तरण संख्या 65, 66 अवैध होने से खारिज योग्य है अत: उक्त भूमि को मंदिर श्री महादेवजी महाराज वाके बांसेड के नाम पुन: दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

{3} प्रार्थी तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 की और से अधिवक्ता श्री प्रकाश डूकिया ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया।

{4} वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की और से दिनांक 15.12.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांसेड की जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 एवं मिसल बदोबस्त 2008 में खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि गलत सेटलमेंन्ट के आधार पर डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम दर्ज हो गई थी जो गलत है उक्त खसरान कभी भी मंदिर व डोली के नाम नहीं रही तथा उक्त खसरान अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम थी और उन्हीं का उक्त खसरान पर कब्जा काश्त था। तथा ग्राम बासेंड के पुराने खसरा नंबर 170, 173 व नये खसरा नंबर 399, 405 जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में रकबा 10.02 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज धीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज थी उनके फौत होने पर उक्त खसरान संवत 2022 से 2025 में छोगा, उदा पिता देवी के नाम रही जो सवंत 2026 से 2029 में ही उक्त खसरान उन्ही के नाम दर्ज रहें, उनके फौत होने पर उक्त खसरान भूमि नामान्तरण संख्या 68 के अनुसार उक्त भूमि शिवराम व नाथुराम पुत्रगण भालूराम के नाम दर्ज हुई जो लगातार आज तक उन्ही के नाम दर्ज रही है। जिन पर शुरू से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त रहा है और अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर रहवासी मकान व जानवरों के बाडे आदि बना कर निवास कर अपना जीवन यापन कर रहा है। इस प्रकार उक्त भूमि पर शुरू से ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से तहसीलदार द्वारा पेश उक्त रेफरेन्स को खारिज फरमावें।

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा जिन भी खातेदारों के नाम भूमि दर्ज हुई है वह विधिवत है, अत: निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया जाना न्यायोचित है एवं जिन भी खातेदारों के नाम से उक्त भूमि दर्ज है उन्हीं के नाम रखी जावें।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत् 2010–2013 तथा जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत 2014–2017 में खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि बनाम मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम धीरा पुत्रं हीरा कौम मेर सान्देह के नाम खुदकाश्त दर्ज रही है। परन्तु बाद की जमाबन्दी संवत् 2018 – 2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी के कालॅम संख्या 4 {भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार और बिस्वेदार या जमींदार-) विवरण सहित} में राजस्थान सरकार तथा कालॅम संख्या 5 {नाम कृषक, विवरण सहित और कृषिकार} में बनाम मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम धीरा पुत्र हीरा कौम मेर सान्देह की प्रविष्टी कर दी गई । तथा जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि की खातेदारी छोगा उदा पिता देवी रावत कौम मेर के नाम दर्ज कर दी गई जो संवत 2030 से 2033 तक उक्त छोगा उदा पिता देवी रावत कौम मेर के नाम दर्ज रही। बेचान से नामान्तरकरण संख्या 68 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि की खातेदारी शिवराम नाथु पिता भालू कौम भार्बी के नाम दर्ज हो गयी। तत्पश्चात् नवीन भू प्रबंध द्वारा पुराने खसरा नंबर 170 व 173 बदलकर क्रमश: नवीन खसरा संख्या 399 एवं 405 हो गये। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा का नामान्तरकरण संख्या 66 दर्ज किया जाकर उक्त भूमि में से खसरा नंबर 399 एवं 405/1 कुल रकबा 0.8200 हैक्टेयर शिवराम पुत्र भालूराम के नाम तथा 399/1 एंव 405 कुल रकबा 0.8200 हैक्टेयर नाथुराम पुत्र भालूराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी।

प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 170, 173 कुल क्षेत्रफल 10.02 बीघा भूमि की खातेदारी छोगा उदा पिता देवी रावत कौम मेर के नाम दर्ज कर दी जो कि पूर्णत: नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि अनुसार मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर मूर्ति की भूमि में दिये गये खातेदारी अधिकारी विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज अवैध खातेदारी भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील परबतसर के ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 399, 405 रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर तथा विभिन्न नामान्तरण संख्या 66 तथा 68 अवैध होने से खारिज किये जाकर उक्त भूमि पुनः "मंदिर श्री महादेवजी महाराज वाके बासेड" दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)